

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021—चैत्र 6, शक 1943

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2021

क्र. 84(23)-वि. निर्वा.-चार-2021-उपचुनाव-39.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 52-2021-SDR-Vol.II दिनांक 26 मार्च 2021 एवं उसका हिन्दी रूपान्तर सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2021—चैत्र 5, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 52-2021-एसडीआर-खंड 1.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिन्हित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं और जिसके अनुरोध को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III क के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए राज्य में लोकसभा एवं विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचन में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे.

आदेश द्वारा,

हस्ता./-

(एन. टी. भूटिया)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 26th March, 2021—Chaitra 5, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No.52-2021-SDR-Vol. I.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who request for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the current bye-elections to the House of the People and Legislative Assembly in the State notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended *vide* Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019 and the directions and guidelines issued by the Election Commission.

By order,

Sd./-

(N. T. BHUTIA)

Secretary

Election Commission of India.